कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/छा.प्रो.प्र./बी/विपूमैछा/आवंटन/2017–18/ दिनांक : 18-07-17

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय :– विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (देवनारायण गुरूकुल योजना सहित) के अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत्।

प्रसंग :– उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप–6 विभाग का पत्रांक पं.19(5)शिक्षा–6/2010 /पार्ट–5 दिनांक 17.7.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत शासन के प्रासंगिक पत्र के क्रम मे लेख है कि राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु तीन अलग–अलग **विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं** में सत्र **2017–18 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश हेतु** जारी विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए छात्र–छात्राओं से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.07.2017 के स्थान पर 31.07.2017 निर्धारित की जाती है। अग्रिम कार्य–योजना की टाईमलाईन पृथक से जारी की जा रही है।

मुल विज्ञप्ति दिनांक 18.05.2017 के बिन्दू संख्या 3(य) मे "योजना मे उन्ही माता–पिता जिनकी अधिकतम दो संतान हो, के पुत्र/पुत्री ही प्रवेश एवं लाभ के लिए पात्र होंगे।" के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन शासन के पत्रांक पं.19(5) शिक्षा–6/2010 /पार्ट–5 दिनांक 14.7.2017 के अनुसार किया जाता है– "माता–पिता के दो से अधिक संतान होने की स्थिति मे केवल दो ही संतानो को इस योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों मे प्रवेश हेतु पात्र माना जाएगा।" समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) उक्त संशोधन के अनुरूप विद्यार्थियों से आवेदन पत्र स्वीकार करना सुनिश्चित करे।

18/7/17
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. शासन उपसचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर।
2. समस्त मण्डल उप–निदेशक को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. रक्षित पत्रावली।

18/7/17
प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर